न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई०ए०एस०

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 70/2016

प्रार्थी– | ***बनाम*** | **अप्रार्थीगण–**

मगाराम पुत्र करनाराम जाति जाट
निवासी कानासर तहसील शिव
जिला बाड़मेर

1. जैसाराम पुत्र डूंगराराम के वारिसान
1.1. राणाराम पुत्र जैसाराम
1.2. स्वरूपाराम पुत्र जैसाराम
1.3. दीपाराम पुत्र जैसाराम
1.4. खेमीदेवी पत्नी जैसाराम
जाति जाट निवासी कानासर तहसील शिव जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन ग्राम कानासर के खेत खसरा नम्बर 419/1 नवीन खसरा नंबर 614/419 रकबा 23–00 बीघा व खसरा नम्बर 616/419 रकबा 75–00 बीघा आवंटन निरस्त करने।

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भगवानदास गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 22.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम कानासर तहसील शिव के खसरा नंबर 419/1 नवीन खसरा नंबर 614/419 रकबा 23 [illegible] की आवंटन किया गया। प्रथम आवंटन के पश्चात [illegible] 75 बीघा का दूसरा आवंटन करवा दिया। प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत कर [illegible] आवंटन नियमों के विपरीत होना मानते हुए [illegible]जस्थान भू–राजस्व [illegible] का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त करने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:29 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में उक्त प्रथम आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ग्राम कानासर गोलाई के खसरा नंबर 272 रकबा 67–00 बीघा व खसरा नंबर 271 रकबा 00–10 बीघा ग्राम कानासर के खसरा नंबर 418 रकबा 13–15 बीघा ग्राम शिवाजीनगर के खेत खसरा नंबर 48 रकबा 26–18 बीघा कुल रकबा 107–13 बीघा खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन न होते हुए भी तथ्य छिपाकर एवं राजस्व अधिकारियों के साथ छल कर आवंटन कराया गया। इतना ही नहीं अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रथम आवंटन के पश्चात पुनः खसरा नंबर 616/419 रकबा 75 बीघा का दूसरा आवंटन भी अपने नाम गलत रूप से करवा दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(26ए) के तहत भूमिहीन व्यक्ति से कृषक वृति का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भूमि को जोतता है या जिससे भूमि को जोतने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है किन्तु उसके स्वयं के नाम से या उसके अविभक्त कुटुंब के सदस्य के नाम से कोई भूमि धारण न करता हो। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त परिभाषा अनुसार वक्त आवंटन किसी भी तरह से भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है तथा उसके द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्ध गलत तथ्य प्रस्तुत कर कराया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम कानासर के खसरा नंबर 614/419 रकबा 23–00 बीघा किस्म बारानी सोयम आवंटन दिनांक 11.06.1968 व खसरा नंबर 616/419 रकबा 75–00 बीघा का आवंटन निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

4. हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 11.06.1968 को जो प्रथम आवंटन किया गया उस समय उसके नाम कुल 107–13 बीघा भूमि जरिये रेकर्ड में दर्ज थी। इसके बावजूद स्वयं को भूमिहीन बताकर [illegible] को आवंटन करवाया गया। इसके पश्चात पुनः प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह भूमिहीन व्यक्ति है तथा उसके पास या उसके संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम खेती करने के लिए कोई कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:29 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। अतः खेती करने के लिए ग्राम कानासर के खसरा नंबर 419 में रकबा 75–00 बीघा आवंटन करने की कृपा करावें। इस पर प्रार्थी को 75–00 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज खतोनी बंदोबस्त 2014–2023 अनुसार ग्राम कानासर के खाता संख्या 28 में प्रार्थी जैहा व अन्य के नाम 108–11 बीघा भूमि दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड के उक्त इन्द्राज से यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर 2014(1) आरआरटी 366 प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं होने से आवंटन निरस्त करने का आदेश न्यायसंगत व उचित है। इसी प्रकार अन्य नजीर 2014(1) आरआरटी 117 में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कपट व दुर्व्यपदेशन द्वारा कराया गया आवंटन विधि के प्रतिकूल होने से रद्द होने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्त उल्लेखित निर्णय नजीर पूर्णतया लागू होती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमिहीन नहीं होते हुए भी दो बार तथ्य छिपाकर राजस्व अधिकारियों के साथ छल कर भूमि आवंटन कराया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम कानासर के खसरा नंबर 614/419 रकबा 23–00 बीघा एवं खसरा नंबर 616/419 रकबा 75–00 बीघा का आवंटन निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर राजस्व अभिलेख में बिला कब्जा दर्ज की जावें तथा पालना से अवगत करावें।

6. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:29 IST
Reason: SelfAttested